भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3423

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

राजस्थान में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं

3423. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इस संबंध में अब तक परियोजना-वार और क्षेत्र-वार स्वीकृत लागत कितनी है, कितनी निधियां जारी की गई हैं और इसमें कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है और इससे कितने किसानों/परिवारों को लाभ होने का अनुमान है;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं वित्तीय, प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष निगरानी प्रणाली, निधि जारी करने की कार्य योजना या अंतर-विभागीय समन्वय तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राज्य सरकार ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कोई नई सिंचाई परियोजना अथवा विस्तार प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): जल के राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन तथा राज्य में सिंचाई प्रणाली को और अधिक व्यापक बनाने संबंधी कार्यनीति बनाने का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका केवल तकनीकी सहायता प्रदान करने और मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत चिह्नित परियोजनाओं के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक के अंतर्गत 363.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले और 17.34 हजार हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता वाले राजस्थान के 157 जल निकायों के तीन क्लस्टरों (36 जल निकायों, 37 जल निकायों और 84 जल निकायों) को सम्मिलित किया गया है। उनमें से 30 जल निकाय टोंक जिले में और 4 जल निकाय सवाई माधोपुर जिले में हैं। तीन क्लस्टरों के लिए 198.79 करोड़ रुपये की पात्र केंद्रीय सहायता में से, मार्च 2025 तक 82.02 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 40.50 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 11.67 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। 36 जल निकायों वाले एक क्लस्टर का कार्य पूरा कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बिसालपुर वृहद् सिंचाई परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया गया है। अब, राजस्थान सरकार के अनुरोध पर, इस परियोजना की दायीं मुख्य नहर के लगभग 5,000 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र के आधुनिकीकरण का कार्य, जिससे राजस्थान के टोंक जिले को लाभ होगा, विभाग की मुख्य योजना, नामतः कमांड क्षेत्र विभाग योजना के अंतर्गत 99.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए एसएनए-स्पर्श शुरू किया है ताकि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा समय पर निधियां जारी की जा सके। इस प्रणाली का उद्देश्य पार्किंग ऑफ फण्ड को कम करना और योजना पर होने वाले व्यय की रीयल टाईम निगरानी करना है।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए, मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा इनकी नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, अंतर-विभागीय मुद्दों सहित अन्य मुद्दों और बाधाओं को, पीएमजी (परियोजना निगरानी समूह) पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जाता है ताकि इन मुद्दों का त्वरित समाधान किया जा सके।

*****